नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 264
दि. 27.06.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

15 मौतों के बाद हरकत में सरकार, कोलकाता की ऊंची इमारतों की होगी व्यापक सुरक्षा जांच; नियमों पर खरी उतरने वाली परियोजनाओं को ही मिलेगी निर्माण की अनुमति

कोलकाता। कोलकाता में हाल ही में एक गोदाम ढहने की दर्दनाक घटना में 15 लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में भवन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कोलकाता महानगर और उससे सटे शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी ऊंची आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के स्वीकृत नक्शों, निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का व्यापक विशेष ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा संबंधी खामियों की पहचान कर भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों को रोकना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

गोदाम हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की समीक्षा करते हुए निर्माण गतिविधियों से जुड़े अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्षों में स्वीकृत सभी बड़े निर्माण परियोजनाओं की तकनीकी जांच कराई जाएगी। इसी क्रम में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो शुक्रवार से अपना काम शुरू करेगी। समिति की पहली बैठक में ऑडिट की रूपरेखा, निरीक्षण की प्रक्रिया, तकनीकी मानकों और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सरकार के अनुसार प्रारंभिक चरण में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें, व्यावसायिक परिसर और तेजी से विकसित हो रहे आवासीय प्रोजेक्ट स्थित हैं। इनमें कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के अलावा बिधाननगर, राजारहाट-न्यू टाउन, कल्याणी, बारुईपुर, बजबज, महेशतला और राजपुर-सोनारपुर जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण दमदम, कमारहाटी, बारानगर और हावड़ा नगर निगम के कुछ हिस्सों में भी विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

प्रत्येक निर्माण स्थल पर जाकर विशेषज्ञ

यह सुनिश्चित करेंगे कि इमारत का वास्तविक निर्माण स्वीकृत नक्शे, भवन निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हुआ है या नहीं।

सरकार ने ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए इसमें कई प्रतिष्ठित संस्थानों को भी शामिल किया है। वरिष्ठ अधिकारी राजेश पांडे की अध्यक्षता में गठित समिति में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के अलावा रेलवे इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख संस्था राइट्स (RITES) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ये विशेषज्ञ भवनों की संरचनात्मक मजबूती, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन, सुरक्षा उपायों और तकनीकी मानकों का विस्तृत मूल्यांकन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण गतिविधियों पर लगाया गया प्रतिबंध स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की जांच पहले पूरी हो जाएगी और जिनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिलेगी, वहां तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। सरकार का कहना है कि केवल उन परियोजनाओं पर रोक रहेगी जहां जांच पूरी होने तक सुरक्षा संबंधी आशंकाएं बनी रहेंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ईमानदार और नियमों का पालन करने वाले डेवलपर्स को अनावश्यक परेशानी से बचाना भी है।

ऑडिट के दौरान प्रत्येक परियोजना को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहली श्रेणी 'रिजेक्शन' की होगी, जिसमें वे परियोजनाएं शामिल की जाएंगी जहां गंभीर नियम उल्लंघन, संरचनात्मक कमजोरी अथवा सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी पाई जाएगी। ऐसी परियोजनाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर उनकी स्वीकृति भी निरस्त की जा सकती है। दूसरी श्रेणी 'रेक्टिफिकेशन' की होगी, जिसमें मामूली या तकनीकी कमियां पाए जाने पर डेवलपर्स को निर्धारित समय के भीतर उन्हें दूर करने का निर्देश दिया जाएगा। तीसरी श्रेणी 'क्लीयरेंस' की होगी, जिसमें सभी मानकों पर खरा उतरने वाले निर्माण कार्यों को तुरंत आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमित मरम्मत, भवनों के नवीनीकरण, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत तथा पहले से स्वीकृत आवासीय भवनों में सीमित विस्तार जैसे कार्य इस विशेष ऑडिट के दायरे में शामिल नहीं होंगे। सरकार का उद्देश्य केवल उन बहुमंजिला और व्यावसायिक परियोजनाओं की समीक्षा करना है जिनका सार्वजनिक सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

सुरक्षा जांच केवल भवनों की संरचनात्मक मजबूती तक सीमित नहीं रहेगी। समिति को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर फाइटिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और वैध फायर लाइसेंस की भी विस्तृत जांच करने का दायित्व सौंपा गया है। इन सभी पहलुओं की जांच पूरी करने के लिए समिति को अतिरिक्त 90 दिनों का समय दिया गया है, ताकि किसी भी तकनीकी पहलू की अनदेखी न हो।

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जल निकायों और निर्माण स्थलों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। ऑडिट के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण स्थलों पर जलभराव न हो, मच्छरों के पनपने जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन किया जाए। इसके लिए डेवलपर्स की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

सरकार ने बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स से अपील की है कि ऑडिट के दौरान यदि निर्माण कार्य अस्थायी रूप से बंद रहता है तो वहां कार्यरत प्रवासी मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के भोजन तथा अस्थायी आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही आर्किटेक्ट, इंजीनियर, प्लानर, सुपरवाइजर और निर्माण क्षेत्र से जुड़े अन्य पेशेवरों से भी आग्रह किया गया है कि यदि उन पर किसी अवैध निर्माण को मंजूरी देने, नियमों की अनदेखी करने या रिश्वत लेने का दबाव बनाया गया हो तो वे बिना किसी भय के इसकी सूचना पुलिस अथवा संबंधित अधिकारियों को दें। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

भवन सुरक्षा को लेकर शुरू किया गया यह विशेष अभियान पश्चिम बंगाल में अब तक की सबसे व्यापक निर्माण समीक्षा माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और भविष्य में भवन हादसों की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि इस अभियान को पारदर्शिता और सख्ती के साथ लागू किया गया तो शहरी विकास और नागरिक सुरक्षा के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।

केरल की इकलौती भाजपा शासित नगर निगम पर मंडराया राजनीतिक संकट, अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में यूडीएफ; सोमवार की बैठक पर टिकीं सबकी निगाहें

तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। राज्य की एकमात्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित नगर निगम अब गंभीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने भाजपा के नेतृत्व वाले नगर निगम प्रशासन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यदि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो नगर निगम की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस संभावित राजनीतिक समीकरण ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और नगर निगम की आगामी बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है।

नगर निगम परिषद की अगली बैठक सोमवार को प्रस्तावित है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसी बैठक के दौरान विपक्ष अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सकता है। यूडीएफ का मानना है कि नगर निगम प्रशासन वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने में विफल रहा है और हाल की घटनाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश करार देते हुए अपनी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास बता रही है।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मौजूदा विवाद की शुरुआत इसी सप्ताह परिषद के भीतर हुई हिंसक झड़प से हुई। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी बहस अचानक हाथापाई में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई पार्षद घायल हो गए। इस दौरान नगर निगम के मेयर वी.वी. राजेश भी गिरकर घायल हो गए, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई और चिकित्सकों को प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। परिषद के भीतर हुई इस अभूतपूर्व घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और राजनीतिक माहौल पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

इस पूरे विवाद की जड़ भाजपा पार्षद आर. सुगाथन को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद है। सुगाथन वर्तमान में केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (केएएपीए) के तहत जेल में बंद हैं। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे व्यक्ति का पार्षद बने रहना लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधित्व की गरिमा के विपरीत है। इसी मुद्दे को लेकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने नगर निगम के भीतर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई। विरोध के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

केवल एलडीएफ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ भी आर. सुगाथन को पार्षद पद से अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि कानून के तहत गंभीर आरोपों में निरुद्ध जनप्रतिनिधि की सदस्यता की समीक्षा होनी चाहिए और नगर निगम प्रशासन को इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक कारणों से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने से बच रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यूडीएफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है और एलडीएफ उसका समर्थन करता है, तो नगर निगम की सत्ता पर वास्तविक खतरा उत्पन्न हो सकता है। दोनों विपक्षी गठबंधनों की संयुक्त रणनीति भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि अंतिम स्थिति नगर निगम में मौजूद संख्याबल और मतदान के समय पार्षदों की भूमिका पर निर्भर करेगी।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम का राजनीतिक महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि वर्ष 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने पहली बार इस नगर निगम में जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। यह पहली बार था जब पार्टी ने केरल जैसे राज्य में किसी नगर निगम की सत्ता हासिल की थी। इस जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथी दलों के चार दशक से अधिक लंबे राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त किया था। उस समय इस परिणाम को भाजपा की दक्षिण भारत में राजनीतिक विस्तार की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना गया था।

हालांकि सत्ता संभालने के दस महीने से भी कम समय के भीतर नगर निगम लगातार विवादों का केंद्र बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासनिक निर्णयों, परिषद के संचालन और राजनीतिक प्रबंधन में लगातार कमियां सामने आ रही हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा है ताकि जनता द्वारा दिए गए जनादेश को कमजोर किया जा सके।

नगर निगम में उत्पन्न यह राजनीतिक संकट राज्य की व्यापक राजनीति पर भी असर डाल सकता है। केरल में अगले स्थानीय निकाय चुनावों और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सभी प्रमुख दल इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो यह न केवल तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सत्ता के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी नए समीकरणों को जन्म दे सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर के छह अमर वीरों को राष्ट्र का नमन, सरकार ने पहली बार सार्वजनिक किए शहीद सैन्यकर्मियों के नाम; राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 'रोल ऑफ ऑनर' में मिलेगा स्थायी सम्मान

नई दिल्ली। मई 2025 में आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए बहुचर्चित सैन्य अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले छह सैन्यकर्मियों के नाम केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक कर दिए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 'रोल ऑफ ऑनर' सूची में इन वीर सैनिकों के नाम शामिल किए जाने के साथ ही उनके अद्वितीय साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण को औपचारिक राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। यह पहली बार है जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई सैन्य शहादतों की आधिकारिक पुष्टि करते हुए शहीद जवानों की पहचान सार्वजनिक की है। इस घोषणा को देश के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मई 2025 में संचालित एक रणनीतिक सीमापार सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके) में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के ठिकानों, प्रशिक्षण शिविरों और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना था। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर तैयार इस अभियान में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने अत्यंत समन्वित और सटीक कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण आतंकी ठिकानों को

निशाना बनाया। इस अभियान को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की निर्णायक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था।

हालांकि अभियान अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा, लेकिन इस दौरान देश ने अपने छह जांबाज सैनिकों को खो दिया। इन वीर जवानों ने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अब सरकार ने उनके नाम सार्वजनिक कर न केवल उनके शौर्य को औपचारिक मान्यता दी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनके योगदान को राष्ट्रीय स्मृति का स्थायी हिस्सा बना दिया है।

सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले छह सैन्यकर्मियों में भारतीय थल सेना के पांच और भारतीय वायुसेना का एक जवान शामिल है। इनमें मुख्यालय 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, चार जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार, पांच फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के अग्निवीर मूड मुरलीनायक, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह तथा भारतीय वायुसेना की 39 विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। इन सभी के नाम अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ग्रेनाइट दीवारों पर स्थायी रूप से अंकित किए जाएंगे, जहां देशभर से आने वाले नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे।

शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार जरियाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल के निवासी थे। सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने अनेक चुनौतीपूर्ण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता तथा साहस के लिए जाने जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर रहकर अपने साथियों का नेतृत्व किया और राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 'रोल ऑफ ऑनर' में किसी सैनिक का नाम शामिल होना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस सैनिक के बलिदान को देश की सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए सुरक्षित करने का प्रतीक है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों के उन सभी वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद विभिन्न युद्धों, सैन्य अभियानों और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। स्मारक पर अंकित प्रत्येक नाम भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक माना जाता है।

ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान माना जाता है। इस अभियान के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि सीमा पार से संचालित आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध वह निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। अभियान में सेना, वायुसेना और विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिला, जिसने इसे रणनीतिक दृष्टि से सफल अभियानों की श्रेणी में स्थापित किया।

सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए जाने के बाद देशभर में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का वातावरण है। सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिक संगठनों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसे उन वीर जवानों के बलिदान को उचित सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज, 'प्रधान गो बैक' अभियान का ऐलान; 28 जून को जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की तैयारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिशों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की कि 28 जून को नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से इस आंदोलन में शामिल होकर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की है।

नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान अभिजीत दिपके ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर प्रश्नों पर सरकार की चुप्पी और जिम्मेदारी तय न होने के कारण यह आंदोलन शुरू किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं तो इससे सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

दिपके ने बताया कि आंदोलन का अगला चरण 28 जून से शुरू होगा, जिसमें जंतर-मंतर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस अभियान में शामिल होंगे और आंदोलन

के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हालांकि, उन्होंने आंदोलन की विस्तृत रणनीति और आगे के कार्यक्रमों की पूरी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन संकेत दिया कि यह अभियान केवल एक दिन का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए इसे व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा।

प्रेस वार्ता के दौरान अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार की कार्यप्रणाली पर जनता का विश्वास कमजोर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में सामने आई कथित गड़बड़ियों ने लाखों विद्यार्थियों के मन में असुरक्षा और निराशा का माहौल पैदा किया है। सीजेपी का कहना है कि वह 20 जून से जंतर-मंतर पर धरना दे रही है और लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा कथित परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठा रही है। पार्टी का दावा है कि इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी आंदोलन में शामिल हुए हैं। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कराना है।

दिपके ने आरोप लगाया कि परीक्षा से जुड़े विवादों के बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने नैतिक आधार पर पद नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री ने कथित पेपर लीक और अन्य विवादों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि कई छात्र मानसिक तनाव और निराशा का सामना कर रहे हैं तथा शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यदि किसी बड़े विवाद के बाद भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश में कब तक बिना जवाबदेही के शासन चलता रहेगा और क्या लोकतंत्र में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती।

आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के उद्देश्य से सीजेपी ने छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों, अभिभावकों, किसान संगठनों और नागरिक समाज के विभिन्न समूहों से भी जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है। संगठन का कहना है कि शिक्षा का विषय केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए इस मुद्दे पर सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है।

इस बीच राजनीतिक हलकों में भी इस आंदोलन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दल पहले से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन की अनुमति, सुरक्षा प्रबंध और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आंदोलन के आयोजकों का दावा है कि देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

हत्या के बजाय ना कहना ज्यादा सरल था

आम भारतीय की स्मृति से एक साल पहले मेघालय में इंदौर की सोनम रघुवंशी द्वारा अपने हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या की घटना अभी मिटी नहीं है। सोनम ने पहाड़ी से अपने पति को धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया था। साजिश में उसका प्रेमी राज सिंह भी शामिल था। अब ऐसा ही मामला पुणे में सामने आया है जब सिया गोयल नामक युवती ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लौहगढ़ स्थित ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया। दोनों धनाढ्य परिवारों से थे। इस साल की शुरुआत में सगाई हुई थी और इसी साल के अंत में उनकी शादी होने जा रही थी। हत्या की दोनों ही घटनाओं में प्रेम का दूसरा कोण मौजूद रहा। पहली घटना में खलनायक प्रेमी राज सिंह तो दूसरी घटना में चेतन चौधरी। दोनों ही घटनाओं में पति व मंगेतर को कांटा मानकर जीवन से हटाना और प्रेमी के दिखाए सब्जबाग संग जीने की उत्कट चाह थी। लेकिन ये कोई सामान्य दुर्घटनाएं नहीं हैं, एक सुनियोजित साजिश हैं,भरोसे के रिश्तों के कत्ल की। भारतीय समाज में ये घटनाएं अस्वाभाविक हैं और परिवार संस्था में भरोसा रखने वाले हर व्यक्ति को उद्वेलित करती हैं। यह समाज विज्ञानियों के लिये मंथन का विषय है कि कोई स्त्री कैसे अपने पति या होने वाली पति की हत्या करने की सोच बना लेती है? सोच बनाती ही नहीं है बल्कि उसे साजिश रचकर अंजाम भी देती है। यहां सवाल उठता है कि यदि सोनम व सिया परिवार द्वारा तय किए गए रिश्ते में नहीं बंधना चाहती तो ना कहने का साहस तो कर ही सकती थीं? निश्चय ही हत्या करने से ना कहना ज्यादा आसान है। धनाढ्य परिवार के केतन की तो अभी सगाई ही हुई थी, जिसे टाला भी जा सकता था। सिया के न चाहने पर परिवार के लोग केतन को खोने के बजाय रिश्ते को मन मारकर तोड़ देते। निश्चय ही केतन व राजा रघुवंशी की सुनियोजित हत्याएं हमें परेशान करती हैं। भले ही ये घटनाएं इक्का-दुक्का हों, लेकिन समाज के विश्वास को गहरे तक खंडित करती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी मधुर रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंत हो सकता है। जिस सिया के साथ सुनहरे जीवन के सपने केतन ने देखे होंगे, उस पर तब क्या बीती होगी, जब उसने सिया को उसे पहाड़ी से धक्का देते हुए देखा होगा? उसके मां-बाप पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने उसकी शादी के लिये शाही तैयारियां शुरू कर दी थीं। हमारे समाज में वैवाहिक रिश्तों में पैदा होने वाली हिंसा, टकराव, अलगाव और कोर्ट-कचहरी का ट्रेंड गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि नौ महीने कोख में रखने वाली मां और खून-पसीने से लालन-पालन करने वाले पिता के सोचे-विचारे फैसलों को नई पीढ़ी द्वारा क्यों खारिज किया जा रहा है? क्या समाज में दूषित खानपान, विषाक्त सोच का बाजार, रिश्तों में बढ़ता अविश्वास और एकाकी परिवारों का त्रास युवा पीढ़ी को आक्रामक बना रहा है? मोबाइल संस्कृति की घातकता व तेजी से फैलता नकारात्मक कंटेंट संबंधों में विकृतियां ला रहा है। मोबाइल फोन जो कभी रिश्तों को जोड़ता था, अपराध का साधन बन रहा है। सोनम व राज सिंह की साजिश हो या सिया व चेतन का षड्यंत्र, उसमें मोबाइल भी सहभागी बना है। पुलिस ने भी चेतन से हुई सिया की हजारों कॉलों का विवरण दिया है। आज साजिशें मोबाइल पर ही रची जाती हैं और मोबाइल से ही अंजाम दी जाती हैं। निश्चय ही सोनम व सिया की साजिशें वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने की सोच रहे युवाओं के मन में कई तरह के संशयों को जन्म देंगी। वजह साफ है कि इन हत्याओं से रिश्तों में विश्वास का खून हुआ है। नकारात्मक घटनाएं इक्का-दुक्का ही होती हैं लेकिन ये अप्रत्याशित व असमान्य घटनाएं आम आदमी की सोच को गहरे तक प्रभावित करती हैं। जो समाज में सहज-सरल रिश्तों के प्रति अविश्वास पैदा करती हैं। ऐसी सोच का नकारात्मक परिणाम भारतीय आदर्श स्त्री की प्रतिष्ठा पर भी आंच ला सकता है। यही वजह है कि आज नई पीढ़ी के कई युवा विवाह संस्था में प्रवेश से कतराने लगे हैं।

घरेलू मोर्चे पर झटके खा रहे राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़े असर के राजनीतिक व कूटनीतिक मायने

> उल्लेखनीय है कि एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने कहा कि चुनावी नियम तय करना राष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यों और कांग्रेस का अधिकार है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) को हाल के दिनों में घरेलू मोर्चे पर दो बड़े झटके लगे हैं, जिनका असर उनकी राजनीतिक ताकत, चुनावी रणनीति और राष्ट्रपति पद की सीमाओं पर पड़ सकता है। लिहाजा विश्व राजनीति और कूटनीति पर भी इन घटनाओं का असर लाजिमी है। पहले हम बात करते हैं, उन दो बड़े झटके का-जहां पहला झटकाः मतदान संबंधी आदेश पर अदालत की रोक का है, वहीं दूसरा झटका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बढ़ता न्यायिक अंकुश है। उल्लेखनीय है कि एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने कहा कि चुनावी नियम तय करना राष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यों और कांग्रेस का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की कई नीतियां—जैसे व्यापक टैरिफ, दूसरी प्रशासनिक एजेंसियों पर नियंत्रण और कुछ आव्रजन कदम—अदालतों में चुनौती का सामना कर रही हैं।

गौरतलब है कि इसी वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उनके व्यापक टैरिफ अधिकारों को खारिज करते हुए कहा कि कराधान और शुल्क निर्धारण का मूल अधिकार कांग्रेस के पास है। इसे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे पर बड़ा आघात माना गया। यह स्थिति दुनिया के अघोषित थानेदार के लिए उचित नहीं है। इसके निम्नलिखित राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं:-

पहला, "मजबूत राष्ट्रपति" की छवि को चुनौतीः ट्रंप ने स्वयं को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया है जो तेज़ी से निर्णय लेकर व्यवस्था बदल सकते हैं। अदालतों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप होने से उनके समर्थकों के बीच यह धारणा बन सकती है कि संस्थागत ढांचा उनकी नीतियों को रोक रहा है।

दूसरा, रिपब्लिकन आधार का और ध्रुवीकरणः ट्रंप इन फैसलों को "न्यायिक सक्रियता" या "डीप स्टेट" की बाधा बताकर अपने समर्थकों को और अधिक संगठित करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे रिपब्लिकन मतदाता आधार में लामबंदी बढ़ सकती है।

तीसरा, डेमोक्रेटिक पार्टी को राजनीतिक अवसरः डेमोक्रेट्स इन घटनाओं को संवैधानिक संस्थाओं की जीत और सत्ता के केंद्रीकरण पर अंकुश के रूप में पेश कर रहे हैं। इससे वे 2026 के मध्यावधि चुनावों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं।

चौथा, कांग्रेस बनाम राष्ट्रपति की बहस तेजः टैरिफ और चुनावी नियमों पर आए फैसलों ने यह संदेश दिया है कि अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं हैं। इससे कार्यपालिका और कांग्रेस के बीच अधिकारों की खींचतान और बढ़ सकती है।

पांचवां, 2026 मध्यावधि चुनावों पर प्रभावः यदि ट्रंप अपनी प्रमुख नीतियों को लागू कराने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बताएगा। वहीं ट्रंप समर्थक इसे "व्यवस्था बनाम जनता" की लड़ाई के रूप में प्रचारित कर सकते हैं। इसलिए ये झटके राजनीतिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ट्रंप के लिए सहानुभूति भी पैदा कर सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये दोहरे झटके केवल कानूनी पराजय नहीं हैं। इनके केंद्र में अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन है। आने वाले महीनों में यह संघर्ष अमेरिकी राजनीति का प्रमुख विषय बन सकता है और 2026 के मध्यावधि चुनावों की दिशा भी प्रभावित कर सकता है।

खास बात तो यह कि घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की शक्तियों को मिले इन झटकों का प्रभाव केवल अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति और कूटनीति पर भी दूरगामी असर डाल सकता है।

पहला, अमेरिकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्नः जब किसी राष्ट्रपति की प्रमुख नीतियां अदालतों या संस्थागत बाधाओं से रुकती हैं, तो सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी दोनों देशों के मन में यह सवाल उठता है कि अमेरिका की घोषित नीतियां कितनी स्थायी हैं। इससे अमेरिकी वादों और समझौतों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

दूसरा, "टैरिफ कूटनीति" की धार कमजोरः ट्रंप ने व्यापार शुल्क (टैरिफ) को विदेश नीति के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके व्यापक टैरिफ अधिकारों को सीमित किए जाने से चीन, यूरोपीय संघ, भारत, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर दबाव बनाने की उनकी क्षमता कम हुई है।

तीसरा, चीन को रणनीतिक अवसरः यदि अमेरिकी राष्ट्रपति की आर्थिक और व्यापारिक शक्ति सीमित होती है, तो चीन स्वयं को अधिक स्थिर और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। इससे वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों में चीन की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है।

चौथा, यूरोप और भारत की सौदेबाजी क्षमता बढ़ेगीः यूरोपीय देशों और भारत जैसे उभरते देशों को यह संकेत मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले बड़े व्यापारिक फैसले लागू नहीं कर सकते। इससे भविष्य की व्यापार वार्ताओं में इन देशों की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हो सकती है।

पांचवां लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा मजबूतः विश्वभर के लोकतांत्रिक देशों के लिए यह संदेश गया है कि अमेरिका में अभी भी न्यायपालिका और संविधान राष्ट्रपति की शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। इससे "Rule of Law" और संस्थागत लोकतंत्र की अमेरिकी छवि को कुछ मजबूती मिली है।

छठा, प्रतिद्वंद्वी देशों का प्रचार तंत्र सक्रिय होगाः रूस, चीन और कुछ अन्य देश यह तर्क दे सकते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था आंतरिक संघर्षों और संस्थागत टकरावों से जूझ रही है। वे इसे अमेरिकी नेतृत्व की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहेगा क्योंकि अमेरिकी संस्थागत व्यवस्था इसी प्रकार के संतुलन पर आधारित है।

सातवां, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बलः यदि अमेरिका के भीतर निर्णय-प्रक्रिया धीमी और विवादास्पद होती है, तो अन्य शक्ति केंद्र—विशेषकर BRICS, European Union और Shanghai Cooperation Organisation—अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। जहां तक इसके राजनीतिक निष्कर्ष की बात है, इन घटनाओं का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है। अल्पकाल में इससे ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति की गति धीमी पड़ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह अमेरिकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का भी प्रमाण माना जाएगा। इसलिए विश्व राजनीति में इसका प्रभाव दोहरा होगा—एक ओर अमेरिकी निर्णायकता पर प्रश्न उठेंगे, दूसरी ओर अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

प्रेरणा

इतिहास की सबसे बड़ी सीखः माता-पिता का सम्मान ही सच्ची विरासत

इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की गाथा नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य के चरित्र, उसके निर्णयों और उसके नैतिक मूल्यों का भी दर्पण होता है। अनेक ऐतिहासिक घटनाएं समय बीत जाने के बाद भी इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि उनमें छिपी सीख हर युग के लिए प्रासंगिक होती है। मुगल सम्राट शाहजहां और उनके पुत्र औरंगज़ेब का प्रसंग भी ऐसी ही एक घटना है, जो हमें यह सोचने के लिए विवश करती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है। सत्ता, वैभव और अधिकार प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण माना जाता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण अपने माता-पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और कर्तव्य का निर्वहन करना है। जो व्यक्ति अपने माता-पिता के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता, उसके व्यक्तित्व की महानता अधूरी रह जाती है।

शाहजहां अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे। उनके शासनकाल में अनेक भव्य इमारतों का निर्माण हुआ और उनका नाम वैभव तथा स्थापत्य कला के लिए आज भी याद किया जाता है। किंतु जीवन के अंतिम वर्षों में परिस्थितियां इतनी बदल गईं कि वही सम्राट अपने ही पुत्र औरंगज़ेब द्वारा आगरा के किले में नजरबंद कर दिए गए। सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा ने पुत्र को इतना कठोर बना दिया कि उसने अपने पिता के सम्मान और अधिकारों की भी परवाह नहीं की। कहा जाता है कि कैद के दौरान शाहजहां को प्रतिदिन एक टूटी हुई सुराही में पानी दिया जाता था। सुराही के टूटे होने के कारण अधिकांश पानी रास्ते में ही बह जाता और उनके पास बहुत कम पानी पहुंचता। वृद्धावस्था में प्यास की पीड़ा सहना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था। जब उन्होंने अधिक पानी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, तब भी उनकी विनती स्वीकार नहीं की गई। यह केवल एक बूढ़े पिता की पीड़ा नहीं थी, बल्कि उस मानवीय संवेदना की परीक्षा थी, जो हर संतान के हृदय में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए।

इस घटना से आहत होकर शाहजहां ने फ़ारसी भाषा में एक अत्यंत मार्मिक संदेश लिखा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि, "हे पुत्र! तू बड़ा विचित्र मुसलमान है, जो अपने जीवित पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। धन्य हैं वे हिंदू, जो अपने दिवंगत पूर्वजों को भी श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं।" इस कथन का उद्देश्य किसी धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि यदि कोई समाज अपने दिवंगत पूर्वजों तक के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करता है, तो जीवित माता-पिता की सेवा और सम्मान का महत्व कितना अधिक होना चाहिए। यह संदेश समय की सीमाओं से परे जाकर आज भी मानवता को झकझोरता है।

मनुष्य के जीवन में माता-पिता का स्थान किसी भी सांसारिक संबंध से ऊपर माना गया है। वे केवल जन्मदाता नहीं होते, बल्कि हमारे पहले शिक्षक, पहले संरक्षक और सबसे बड़े शुभचिंतक भी होते हैं। एक मां अपने बच्चे के लिए अनगिनत रातें जागकर बिताती है और एक पिता अपनी इच्छाओं का त्याग करके संतान के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। उनका प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। वे संतान की सफलता में अपनी सफलता और उसके सुख में अपना सुख देखते हैं। ऐसे माता-पिता जब वृद्धावस्था में अपने बच्चों से सम्मान और अपनापन चाहते हैं, तब यह उनकी कोई मांग नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार होता है।

भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है। वेदों और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है—"मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।" यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का आधार है। भगवान श्रीराम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार किया। श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि महानता केवल शक्ति या सफलता से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के पालन से प्राप्त होती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में माता-पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। आज का समय आधुनिकता, तकनीक और भौतिक उपलब्धियों का युग है। लोग करियर, व्यवसाय और आर्थिक सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यह आवश्यक भी है, किंतु यदि इन उपलब्धियों की कीमत माता-पिता की उपेक्षा बन जाए, तो ऐसी सफलता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। आज अनेक वृद्ध माता-पिता अपने ही बच्चों के रहते हुए अकेलापन और उपेक्षा का जीवन जी रहे हैं। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि समाज में पारिवारिक संवेदनाएं धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही हैं। यह केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों के ह्रास का भी संकेत है। यह समझना आवश्यक है कि माता-पिता को केवल आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें सबसे अधिक जरूरत अपने बच्चों के समय, स्नेह, सम्मान और आत्मीयता की होती है। उनके साथ बैठकर कुछ समय बिताना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखना ही सच्ची सेवा है। कई बार एक प्रेमपूर्ण शब्द और सम्मान से भरा व्यवहार उन सभी सुविधाओं से अधिक मूल्यवान होता है, जो धन से खरीदी जा सकती हैं।

धर्म चाहे कोई भी हो, संसार की लगभग हर संस्कृति माता-पिता के सम्मान को सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य मानती है। इस्लाम में माता-पिता की सेवा को जन्नत का मार्ग बताया गया है। हिंदू धर्म में उन्हें देवतुल्य माना गया है। ईसाई धर्म में माता-पिता का सम्मान ईश्वर की आज्ञा है, जबकि बौद्ध और सिख परंपराओं में भी माता-पिता के प्रति सेवा और कृतज्ञता को महान गुण माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि माता-पिता का सम्मान किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का साझा आदर्श है।

शाहजहां और औरंगज़ेब का प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता और महत्वाकांक्षा क्षणभंगुर होती हैं। इतिहास में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी राजनीतिक सफलताओं से नहीं, बल्कि उसके नैतिक आचरण से भी किया जाता है। औरंगज़ेब एक शक्तिशाली शासक अवश्य बना, लेकिन अपने पिता के प्रति उसके व्यवहार का उल्लेख भी इतिहास के पन्नों में सदैव होता है। दूसरी ओर शाहजहां की पीड़ा आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि संतान का सबसे बड़ा धर्म अपने माता-पिता के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना है।

अंततः यही कहा जा सकता है कि माता-पिता का सम्मान केवल पारिवारिक दायित्व नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है।

Vishwakhabram: बदलने वाली है India की China Policy? Early Harvest Deal की तैयारी! Xi Jinping India Visit से पहले आई बड़ी खबर

सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की पूरी संभावना है जिसके चलते भारत चीन संबंधों में नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्ष 2020 से 2024 तक चले लंबे सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें अब अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता ने यह संकेत दिया है कि दोनों देश सीमा विवाद के कम संवेदनशील हिस्सों में प्रारंभिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि चीन की ओर से सीमा विवाद के अपेक्षाकृत कम विवादित क्षेत्रों, विशेषकर सिक्किम क्षेत्र में तथाकथित प्रारंभिक समझौते का प्रस्ताव रखा गया है। इसे सीमा निर्धारण प्रक्रिया में "अर्ली हार्वेस्ट" दृष्टिकोण माना जा रहा है। हालांकि भारत पहले इस प्रकार के चरणबद्ध समाधान का विरोध करता रहा है और उसका जोर पूरे सीमा विवाद के अंतिम और व्यापक समाधान पर था। वर्ष 2005 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते में भी यही कहा गया था कि सीमा विवाद का समाधान समग्र होना चाहिए। लेकिन अब बदलते भू-राजनीतिक वातावरण और हालिया तनावों के बाद नई दिल्ली भी अधिक व्यावहारिक नीति अपनाती दिखाई दे रही है।

इसके अलावा, नई दिल्ली में ब्रिक्स बैठक से इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने भी दोनों देशों के बीच संवाद प्रक्रिया को नई गति दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि बीजिंग भारत के साथ मिलकर आपसी विश्वास बढ़ाने, संदेह दूर करने और संवेदनशील मुद्दों को सावधानी से संभालने के लिए तैयार है। चीन ने यह भी दोहराया कि सीमा विवाद को दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दूसरी ओर भारत लगातार यह कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विकास के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता अनिवार्य है।

हम आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई कार्य प्रणाली विकसित करने पर भी चर्चा हो रही है। यह व्यवस्था सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने, सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और आकस्मिक टकराव रोकने के उद्देश्य से तैयार की जा सकती है। साथ ही भारत ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तर की वार्ता शीघ्र शुरू करने की मांग भी उठाई है। यह मुद्दा जल सुरक्षा, पर्यावरण और भविष्य की सामरिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

देखा जाये तो इन घटनाक्रमों का सामरिक महत्व बहुत व्यापक है। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं और दोनों के बीच संबंधों का प्रभाव पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। वहीं चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध भी लगातार बढ़ता रहा है। यही कारण है कि नई दिल्ली अब ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों साथ-साथ चल सकें।

साथ ही अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में यह तर्क भी तेजी से उभर रहा है कि भारत को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। जापान अमेरिका का प्रमुख सुरक्षा सहयोगी होने के बावजूद चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखता है। दोनों देशों के बीच समुद्री विवाद और राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन टोक्यो ने कभी चीन के साथ आर्थिक संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं किया। जापान ने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अलग स्तर पर संभालने की नीति अपनाई है। भारत के लिए भी यह मॉडल उपयोगी माना जा रहा है।

दक्षिण कोरिया का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। सियोल अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था चीन के विशाल बाजार से गहराई से जुड़ी हुई है। थाड मिसाइल प्रणाली को लेकर चीन और दक्षिण कोरिया के बीच गंभीर तनाव पैदा हुआ था, फिर भी सियोल ने संबंध समाप्त करने की बजाय संतुलित नीति अपनाई। उसने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के साथ संवाद बनाए रखा। भारत भी अब वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध अत्यंत व्यापक है। ऐसे में पूर्ण टकराव की नीति भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है।

रणनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत अब बहु संतुलन वाली विदेश नीति की ओर बढ़ रहा है। एक ओर वह अमेरिका के साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ तनाव प्रबंधन और आर्थिक संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह नीति भारत को अधिक सामरिक स्वायत्तता प्रदान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत चीन संबंधों में स्थिरता आती है तो इससे नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वतंत्र कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताएं, विशाल बाजार और उभरती वैश्विक शक्तियां हैं। दोनों देशों की संयुक्त आबादी विश्व की लगभग एक तिहाई है। ऐसे में निरंतर शत्रुता न केवल एशिया की स्थिरता के लिए चुनौती होगी, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करेगी। यही कारण है कि दोनों देश अब सीमित सहयोग, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और निरंतर संवाद की नीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, सीमा विवाद, आपसी अविश्वास और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन हालिया कूटनीतिक गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि नई दिल्ली और बीजिंग संबंधों को टकराव के बजाय स्थिरता की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह प्रक्रिया सफल होती है तो इससे न केवल एशिया में शक्ति संतुलन मजबूत होगा, बल्कि भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।

अभियान

निर्जला एकादशीः संयम, सेवा और सनातन जीवन मूल्यों का महापर्व

भारतीय संस्कृति में पर्व और व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि वे जीवन को अनुशासित, संतुलित और आध्यात्मिक बनाने का माध्यम भी हैं। प्रत्येक पर्व अपने भीतर कोई न कोई गहन संदेश समेटे रहता है, जो मनुष्य को केवल ईश्वर से जोड़ने का कार्य नहीं करता, बल्कि उसे समाज, प्रकृति और अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाता है। इन्हीं महान व्रतों में निर्जला एकादशी का विशेष स्थान है। यह वर्ष भर आने वाली चौबीस एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना, आत्मसंयम, दान, तप, सेवा और सदाचार का अद्भुत संगम है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे 'एकादशियों की महारानी' भी कहा जाता है।

निर्जला एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत प्रेरणादायक पौराणिक कथा है। महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन अपनी असाधारण भूख के कारण नियमित रूप से एकादशी का उपवास नहीं कर पाते थे। वे अपने भाइयों और माता कुंती को व्रत करते हुए देखते थे, किंतु स्वयं ऐसा करने में असमर्थ थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से समाधान पूछा। महर्षि ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे वर्ष में केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को अन्न और जल दोनों का पूर्ण त्याग करके निर्जला व्रत करें, तो उन्हें वर्षभर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह कथा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले, तो कठिन से कठिन साधना भी संभव हो जाती है।

निर्जला एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आत्मसंयम है। सामान्यतः उपवास में फल, दूध या जल ग्रहण किया जाता है, लेकिन इस व्रत में परंपरागत रूप से अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। यह तपस्या शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होती है। मनुष्य का जीवन इच्छाओं से संचालित होता है। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी ही बेचैनी और असंतोष भी बढ़ता है। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए बिना आत्मिक शांति संभव नहीं है। जब व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तक पर नियंत्रण रखता है, तब उसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास का विकास होता है।

यह व्रत भगवान विष्णु की भक्ति का भी विशेष पर्व है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना गया है। वे केवल संसार का संरक्षण ही नहीं करते, बल्कि धर्म, न्याय और संतुलन की भी रक्षा करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की विधिपूर्वक पूजा करते हैं। पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन विशेष फलदायी माना गया है। अनेक वैष्णव परंपराओं में इस दिन रात्रि जागरण, भजन-कीर्तन और विष्णु कथा का भी विशेष महत्व है। यह वातावरण व्यक्ति के मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर ईश्वर की ओर उन्मुख करता है।

निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि सेवा और दान का भी महापर्व है। भारतीय संस्कृति में दान को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विशेष रूप से ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जब जल का महत्व सबसे अधिक होता है, तब इस दिन जलदान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। परंपरा के अनुसार जल से भरा घड़ा, शीतल शर्बत, छाता, हाथ का पंखा, वस्त्र, फल, अन्न, जूते-चप्पल और अन्य उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंदों को दान की जाती हैं। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक पुण्य अर्जित करना नहीं, बल्कि समाज में करुणा और सहयोग की भावना को मजबूत करना भी है। दान का वास्तविक अर्थ वही है, जिसमें किसी जरूरतमंद के जीवन में राहत और मुस्कान लाई जा सके।

इस व्रत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश जल संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। भूजल स्तर गिर रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता चुनौती बनती जा रही है। ऐसे समय में निर्जला एकादशी अप्रत्यक्ष रूप से हमें जल के महत्व का स्मरण कराती है। जब व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ समय के लिए जल का त्याग करता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि जल के बिना जीवन कितना कठिन है। यही अनुभूति उसे जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करना सिखाती है। यदि इस आध्यात्मिक संदेश को आधुनिक पर्यावरणीय चेतना से जोड़ा जाए, तो यह पर्व जल संरक्षण के लिए एक प्रभावी सामाजिक अभियान भी बन सकता है।

भारतीय परिवारों में निर्जला एकादशी केवल व्यक्तिगत साधना का अवसर नहीं होती, बल्कि यह पारिवारिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। घरों में सामूहिक पूजा होती है, विष्णु कथा सुनी जाती है, भजन-कीर्तन आयोजित किए जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर धार्मिक वातावरण का आनंद लेते हैं। इस प्रकार नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मूल्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है। आधुनिक जीवनशैली में जहां परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है, वहां ऐसे पर्व पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। निर्जला एकादशी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। उपवास का वैज्ञानिक पक्ष यह बताता है कि नियंत्रित और संतुलित उपवास पाचन तंत्र को विश्राम देता है तथा शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को संतुलित करने में सहायता करता है। हालांकि निर्जल उपवास प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगों से पीड़ित लोग अथवा चिकित्सकीय कारणों से नियमित दवा लेने वाले व्यक्तियों को अपनी क्षमता और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार व्रत करना चाहिए। सनातन परंपरा का मूल भाव कभी भी शरीर को अनावश्यक कष्ट देना नहीं रहा है। इसलिए यदि स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जल व्रत संभव न हो, तो फलाहार अथवा जल ग्रहण करके भी श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण किया जा सकता है। ईश्वर भावना और निष्ठा को देखते हैं, केवल बाहरी कठोरता को नहीं। आज के भौतिकवादी युग में निर्जला एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। आधुनिक जीवन में मनुष्य सुविधाओं का इतना अभ्यस्त हो गया है कि छोटी-सी असुविधा भी उसे बेचैन कर देती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि आत्मबल का निर्माण सुविधा से नहीं, बल्कि संयम और अनुशासन से होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने उपवास को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम माना।

निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक पक्ष भी अत्यंत गहरा है। यह व्रत मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख-सुविधाओं का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए भोजन, जल और सांसारिक आकर्षणों से स्वयं को अलग करता है, तब उसका मन भीतर की ओर यात्रा करता है। यही आत्मचिंतन उसे अपने दोषों को पहचानने, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने और जीवन को अधिक सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। इस दृष्टि से यह व्रत आत्मशुद्धि और आत्मजागरण का पर्व भी है।

यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। यदि व्रत के साथ सेवा, दया, विनम्रता, सत्य, करुणा और परोपकार का भाव न जुड़ा हो, तो उसकी पूर्णता नहीं होती। निर्जला एकादशी का वास्तविक संदेश यही है कि ईश्वर की पूजा के साथ-साथ मनुष्य की सेवा भी उतनी ही आवश्यक है। प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन देना, जरूरतमंद की सहायता करना और प्रकृति की रक्षा करना भी भगवान विष्णु की आराधना का ही स्वरूप है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पिथोरा चित्रकला: दीवारों से कैनवास तक का सफर

मानव और ईश्वर के बीच सामंजस्य की एक प्राचीन प्रार्थना ने कैसे पारंपरिक सीमाओं को पार कर अभूतपूर्व आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया

गांधीनगर : आगामी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (VGRC) के अंतर्गत मध्य गुजरात क्षेत्र का सम्मेलन 29 और 30 जून 2026 को वडोदरा स्थित GSFC यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सम्मेलन हस्तशिल्प क्षेत्र को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विज़न के अनुरूप, 'वोकल फॉर लोकल' पहल के माध्यम से राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य गुजरात के विभिन्न GI टैग प्राप्त उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए यह सम्मेलन पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने का प्रयास करेगा।

इसी क्रम में मध्य गुजरात की प्रसिद्ध पिथोरा चित्रकला को भी वीजीआरसी के साथ आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक उसी परिसर में आयोजित होगी।

जीआई टैग किसी उत्पाद की प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण प्रमाण होता है, जो उसकी विशिष्ट गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को उसके मूल भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है।

प्राचीन गुफा चित्रों से शुरू हुई यह कला आज आदिवासी घरों की पवित्र मिट्टी की दीवारों से निकलकर कैनवास, कागज और अन्य आधुनिक माध्यमों तक पहुंच चुकी है। छोटाउदेपुर, वडोदरा और पंचमहल जिलों में राठवा, भील और भीलाला समुदायों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के रूप में की जाने वाली यह परंपरा आज पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है।

कैनवास जैसे पोर्टेबल माध्यमों पर इस कला के विस्तार ने इसे अधिक समावेशी बनाया है और नई पीढ़ी के स्वतंत्र कलाकारों के लिए नए अवसर खोले हैं। पारंपरिक दीवार चित्रण की मर्यादा को बनाए रखते हुए समकालीन कलाकारों ने इसकी जटिल प्रतीकात्मक शैली को कागज और कैनवास पर सफलतापूर्वक उतारा है। इससे यह धार्मिक परंपरा आज एक व्यवहारिक और सम्मानजनक आजीविका का माध्यम बन गई है, जिसे वैश्विक स्तर पर कलात्मक पहचान मिल रही है।

पारंपरिक मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकानों के बढ़ते चलन के बीच इस विरासत को संरक्षित रखने के लिए गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (GSHHDC) अपनी प्रसिद्ध 'गरवी गुर्जरी' ब्रांड के माध्यम से क्लस्टर विकास, प्रत्यक्ष कलाकृतियों की खरीद तथा अन्य संस्थागत सहयोग प्रदान कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में निगम ने पिथोरा कलाकारों से लगभग 6.2 लाख रुपये मूल्य की कलाकृतियां सीधे खरीदी हैं, जिससे उनकी आय में 15 से 30 प्रतिशत तक की स्थायी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में निगम पांच प्रमुख मास्टर कलाकारों के साथ सीधे कार्य कर रहा है तथा अप्रत्यक्ष रूप से हजारों ग्रामीण परिवारों को सहयोग प्रदान कर रहा है। इन पहलों के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए छोटाउदेपुर के कलाकार नारण राठवा ने कहा, "गरवी गुर्जरी द्वारा आयोजित कार्यशालाएं, लाइव डेमोंस्ट्रेशन और मेले हमारे लिए बहुत लाभदायक रहे हैं। पहले हमारी आजीविका केवल गांव में मिलने वाले काम पर निर्भर थी, लेकिन गरवी गुर्जरी के माध्यम से मिले अवसरों के कारण हमारी आय बढ़ी है और आजीविका के नए स्रोत भी विकसित हुए हैं।"

गरवी गुर्जरी कलाकारों को परिवहन एवं स्टॉल सब्सिडी उपलब्ध कराने के साथ-साथ लाइव क्राफ्टिंग प्रदर्शन आयोजित कर उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त नियमित डिजाइन विकास कार्यशालाओं के माध्यम से कलाकारों को आधुनिक उत्पादन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे वॉल आर्ट, लैंप और होम डेकोर जैसे व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण कर बेहतर आय अर्जित कर सकें। निगम सोशल मीडिया पर 'मेड इन गुजरात हैंडीक्राफ्ट स्टोरी' जैसे डिजिटल स्टोरीटेलिंग अभियानों के माध्यम से पिथोरा चित्रकला की ऑनलाइन बिक्री को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

इन प्रयासों की सराहना करते हुए पद्मश्री सम्मानित एवं पिथोरा कला के वरिष्ठ कलाकार परेश राठवा ने कहा, "गरवी गुर्जरी, जो गुजरात का गौरव है, उसने केवल पिथोरा कला को ही नहीं, बल्कि मुझे और मेरे जैसे अनेक स्थानीय कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाया है। इस संस्था ने हमारे आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारी मिट्टी की खुशबू को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। हमारी प्राचीन कला को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ बाजार से जोड़कर इसने नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। गरवी गुर्जरी के साथ जुड़कर मुझे विपणन और उपभोक्ताओं की पसंद को समझने की नई दृष्टि मिली है। एक कलाकार के रूप में मुझे अपनी कला का वास्तविक सम्मान और मूल्य इसी मंच के माध्यम से प्राप्त हुआ है।"

उन्होंने 'दीवारों से दुनिया तक' की इस यात्रा पर आगे कहा, "गरवी गुर्जरी ने हमारी पवित्र पिथोरा कला को, जो कभी केवल घरों की दीवारों तक सीमित थी, वैश्विक कैनवास प्रदान किया है। इसने दुनिया के सामने पिथोरा चित्रकला को आदिवासी संस्कृति, प्रकृति और आस्था के सशक्त प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। गरवी गुर्जरी के साथ जुड़कर हमारे समुदाय के कलाकारों को न केवल स्थायी आजीविका मिली है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व और सम्मान भी प्राप्त हुआ है।"

गुजरात की पिथोरा चित्रकला को वर्ष 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। प्रत्येक कलाकार रंगों के संयोजन, बॉर्डर और आधुनिक प्रतीकों में अपनी विशिष्ट शैली जोड़ता है, जिसके कारण कोई भी दो चित्र एक जैसे नहीं होते। चित्रों में कहीं पारंपरिक धनुष-बाण दिखाई देते हैं तो कहीं आधुनिक पुलिस जीप, लेकिन इन सभी के केंद्र में एक ही मूल भावना रहती है, मानव, प्रकृति और ईश्वर के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली एक पवित्र एवं समृद्ध परंपरा।

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है: केंद्र के बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल तेज कर दिए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश में हर सुबह तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार के शासन में हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और देश के नागरिक अब एक अंतर्निहित भय से ग्रस्त हैं। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को पीटीआई को बताया कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराई।

पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार, गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि कल यह निर्णय नहीं लिया गया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पिछले बारह वर्षों में भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है।

जबकि पहले के उच्च न्यायालय के फैसलों में यह कहा गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 2019 में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर प्रश्नोत्तर सत्र में, प्रेस सूचना ब्यूरो ने लिखा था कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण नागरिकता नियम,

2009 के आधार पर किया जाता है। ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 पर आधारित हैं। यह नियम सार्वजनिक रूप से मान्य है। भारत का नागरिक बनने के पांच तरीके हैं: (1) जन्म से नागरिकता (2) वंश से नागरिकता (3) पंजीकरण द्वारा नागरिकता (4) प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता (5) निगमन द्वारा नागरिकता। इस प्रकार, यदि आपके पास भारतीय नागरिक होने के उपरोक्त आधिकारिक प्रमाण हैं, तो आप भारतीय नागरिक कहलाते हैं।

इस संबंध में, राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा, फिर नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज है?

अंत में, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि ऐसा लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र प्रमाण हिंदू होना और भाजपा मतदाता होना ही आवश्यक है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं चलेगा।

नासिरनगर विध्वंस मामले में उच्च न्यायालय के कड़े सवाल, एसएमसी, पुलिस और टोरेंट पावर से जवाब मांगे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत के नासिर नगर विध्वंस मामले में, जो राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, अधिकारियों ने मनमाने ढंग से गरीबों को बेघर कर दिया है। अब, उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस विभाग और एसएमसी में हलचल मचा दी है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक तीखा सवाल पूछा, "सूरत पुलिस आयुक्त ने विध्वंस के संबंध में शिकायत क्यों नहीं दर्ज की?" इस गंभीर मामले के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। टॉरेंट पावर और डीसीपी नाकुम भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

नासिर नगर विध्वंस मामले में 26 याचिकाकर्ताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें राज्य सरकार, एसएमसी, सूरत पुलिस आयुक्त, एसओजी डीसीपी राजदीपसिंह नाकुम, पुलिस एवं एसएमसी कर्मचारी और टॉरेंट पावर को पक्षकार बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एसओजी डीसीपी (राजदीपसिंह नाकुम) वहां अवैध रूप से उपस्थित थे, तो उन्हें अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश

होना होगा। क्योंकि यह विध्वंस बिना किसी सूचना, निवेदन का अवसर या पंचनामा के किया गया था। 30 मई को सूरत के नासिर नगर में एसएमसी द्वारा 150 से अधिक मकान ध्वस्त कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह तोड़फोड़ एसएमसी द्वारा की गई थी? याचिकाकर्ताओं की ओर से दिया गया उत्तर यह था कि तोड़फोड़ स्थल पर एसएमसी के अधिकारी और 20 से 25 पुलिसकर्मी एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि सूरत नगर पुलिस आयुक्त को यह उत्तर देना चाहिए कि तोड़फोड़ एसएमसी द्वारा की गई थी या किसी और द्वारा? यदि एसओजी के डीसीपी कानूनी रूप से उपस्थित थे, तो उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, टॉरेंट पावर को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने नासिर नगर का बिजली कनेक्शन किसके आदेश पर काटा? इस संवेदनशील मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके पास अधिकार है। न्यायालय को संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहिए। इस याचिका की पहली सुनवाई सोमवार, 29 जून की सुबह होगी, जिसमें टॉरेंट पावर के वकील भी उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार, अंततः न्यायालय ने गरीबों की बात सुन ली है।

ऊर्जा बचत की दिशा में गुजरात सरकार का बड़ा कदम, सरकारी दफ्तरों में एसी 24 डिग्री पर चलाना अनिवार्य, 45 दिन में बनानी होगी ऊर्जा दक्षता योजना

गांधीनगर। ऊर्जा संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और सरकारी कार्यालयों में बिजली की अनावश्यक खपत पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुजरात सरकार ने व्यापक ऊर्जा दक्षता अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा अन्य सरकारी भवनों में एयर कंडीशनर का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस निर्धारित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग को अगले 45 दिनों के भीतर अपना "ऑफिस एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान" तैयार कर सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यों को प्रभावित किए बिना ऊर्जा की बचत, वित्तीय अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार की यह पहल ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग तथा सड़क एवं भवन विभाग के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि यदि सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा के उपयोग को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाया जाए तो बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इससे न केवल सरकारी खर्च कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के राष्ट्रीय प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सभी सरकारी कार्यालयों में भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की सिफारिशों के अनुरूप एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि तापमान में मामूली बदलाव से भी बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत संभव है।

नई व्यवस्था के तहत कार्यालय समय समाप्त होने के बाद, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाशों के दौरान सभी बिजली उपकरणों को बंद रखना अनिवार्य होगा। इसमें एयर कंडीशनर, पंखे, लाइटें, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य विद्युत उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा जो अधिकारी अवकाश पर होंगे या फील्ड ड्यूटी पर रहेंगे, उनके कक्षों में लगे सभी विद्युत उपकरण प्रतिदिन बंद हैं या नहीं, इसकी नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार ने प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। यह अधिकारी ऊर्जा संरक्षण संबंधी सभी दिशा-निर्देशों के पालन की निगरानी करेगा, बिजली की खपत का रिकॉर्ड रखेगा और विभागीय ऊर्जा बचत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएगा।

बिजली की अनावश्यक बर्बादी रोकने के लिए सरकारी भवनों में आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। इसके तहत गलियारों, मीटिंग हॉल, पार्किंग क्षेत्रों और शौचालयों में ऑक्यूपेंसी सेंसर तथा टाइमर आधारित ऑटोमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। इन उपकरणों के माध्यम से जहां आवश्यकता नहीं होगी, वहां लाइटें और अन्य विद्युत उपकरण स्वतः बंद हो जाएंगे, जिससे ऊर्जा की बचत होगी।

सरकार ने जल शीतलकों (वाटर कूलर) के उपयोग को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में वाटर कूलर शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे और अगले दिन सुबह 9 बजे पुनः चालू किए जाएंगे। इससे गैर-कार्य अवधि के दौरान होने वाली बिजली की अनावश्यक खपत को रोका जा सकेगा। ऊर्जा दक्षता अभियान के तहत सरकारी भवनों में पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से एलईडी लाइटों से बदला जाएगा। साथ ही भविष्य में सरकारी विभाग केवल 5-स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा दक्ष उपकरणों की ही खरीद करेंगे। सरकार का मानना है कि ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग से लंबे समय में बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्ट्रीट लाइटों का संचालन सूर्योदय और सूर्यास्त के वास्तविक समय के अनुरूप किया जाए, जिससे प्रतिदिन लगभग 60 मिनट तक बिजली की बचत संभव हो सके। इसके अलावा कम यातायात वाले क्षेत्रों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच बीच-बीच की स्ट्रीट लाइटें बंद रखने का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है।

दादा की उंगली पकड़कर जा रहा था मासूम, शेरनी ने झपट्टा मारकर उठा ले गई; एक किलोमीटर दूर मिला शव, अमरेली में दहशत

अमरेली। गुजरात के अमरेली जिले में इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष ने एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना को जन्म दिया। गिर वन क्षेत्र से सटे खांभा तालुका के चतुरी गांव में एक शेरनी ने पांच वर्षीय मासूम बच्चे पर उस समय हमला कर दिया, जब वह रात में अपने दादा के साथ दूध लेने जा रहा था। दादा की आंखों के सामने शेरनी बच्चे को मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गई। ग्रामीणों ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन करीब एक किलोमीटर दूर बच्चे का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, जबकि ग्रामीणों में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।

मृतक की पहचान पांच वर्षीय जियान देवकुंभाई सीधा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घटना रात के समय हुई, जब जियान अपने दादा की उंगली पकड़कर गांव में दूध लेने जा रहा था। रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर घात लगाए बैठी एक शेरनी ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि दादा बच्चे को बचाने का कोई मौका ही नहीं पा सके। शेरनी मासूम को अपने जबड़ों में दबाकर तेजी से जंगल की ओर भाग निकली।

घटना के बाद दादा के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने लाठियां और टॉर्च लेकर जंगल की ओर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि कुछ युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शेरनी का पीछा भी किया और बच्चे को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। काफी देर तक चले खोज अभियान के बाद गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर बच्चे का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर परिजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अधिकारियों के अनुसार करीब नौ घंटे तक चले अभियान में एक शेरनी को बेहोश कर पकड़ लिया गया, जबकि कुल पांच शेरों को रेस्क्यू कर पिंजरों में सुरक्षित रखा गया। वन विभाग ने बताया कि सभी पकड़े गए शेरों की चिकित्सकीय जांच कराई गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले में कौन-सा शेर शामिल था।

प्रारंभिक जांच के दौरान पकड़े गए शेरों में से एक की उल्टी में बच्चे के अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इन अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे घटना से संबंधित वैज्ञानिक प्रमाण जुटाए जा सकें। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर गिर क्षेत्र से सटे गांवों में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही और मानव सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से शेर लगातार आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उनका आरोप है कि वन विभाग को पहले से शेरों की गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह अमरेली जिले में पिछले एक महीने के भीतर शेर के हमले की तीसरी घटना है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों का शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई गांवों में लोग अब समूह बनाकर ही खेतों और अन्य कार्यों के लिए बाहर जा रहे हैं।

घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की गश्त बढ़ाने, आबादी के आसपास सक्रिय शेरों की नियमित निगरानी करने और संभावित खतरे वाले इलाकों में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन गांवों में शेरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, वहां लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए प्रभावी चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और क्षेत्र में शेरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि रात के समय अकेले बाहर न निकलें और किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल विभाग को सूचना दें।

यह दर्दनाक घटना एक बार फिर इस चुनौती को सामने लेकर आई है कि गिर क्षेत्र में बढ़ती शेरों की संख्या और उनके प्राकृतिक आवास के आसपास फैलती मानव बस्तियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा, दोनों को साथ लेकर चलना अब प्रशासन और वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

जूनागढ़ में विधायक गोपाल इटालिया और राजू बोरखतरिया के नेतृत्व में विधायक चैतर वसावा के समर्थन में पदयात्रा आयोजित हुई

- मोरबी ब्रिज, राजकोट और सूरत अग्निकांड के दोषी आज़ाद, लेकिन जनता के लिए लड़ने वाले चैतर वसावा को सज़ा क्यों? : गोपाल इटालिया
- गुजरात में भूमाफिया और लठ्ठाकांड के आरोपी आज़ाद, आदिवासियों का योद्धा जेल में : गोपाल इटालिया
- नकली कचहरी का भंडाफोड़ करना और जल-जमीन के लिए लड़ना क्या अपराध है? : गोपाल इटालिया
- अधिकारों की लड़ाई को अपराध मानने वाली सरकार को आगामी चुनाव में जनता अपने वोट की ताकत से सबक सिखाएगी : गोपाल इटालिया
- AAP आदिवासी समाज और चैतरभाई वसावा के साथ है, इस तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं : गोपाल इटालिया

अहमदाबाद/जूनागढ़/गुजरातः जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया और प्रदेश संगठन मंत्री राजू बोरखतरिया के नेतृत्व में चैतरभाई वसावा के समर्थन में पदयात्रा आयोजित की गई। इस अवसर पर विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और गुजरात के आदिवासी समाज के योद्धा चैतरभाई वसावा के खिलाफ भाजपा सरकार ने कानून का दुरुपयोग करके, कानूनी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करके और षड्यंत्र रचकर उन्हें राजनीति से दूर करने तथा विधायक पद से हटाने का दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम चलाया है और उन्हें सात साल की जेल की सज़ा दिलवाई है। चैतरभाई वसावा का अपराध क्या है? चैतरभाई का अपराध आदिवासी समाज को जागरूक करना है। आदिवासी समाज के जल, जमीन और जंगल के अधिकारों के लिए लड़ना क्या अपराध है? आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, उन विस्थापित आदिवासियों के लिए लड़ना अपराध है, आदिवासी क्षेत्रों में नकली कार्यालयों का भंडाफोड़ करना अपराध है, और समाज के लिए, युवाओं के लिए तथा लोगों के लिए लड़ना अपराध है। यही काम करने के कारण उन्हें सात साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। गुजरात में अनेक जमीन माफिया, घोटाले करने वाले माफिया, ठेकेदार माफिया, घटिया गुणवत्ता की दवाइयाँ बेचने वाले और नकली सामान बनाने वाले हजारों अपराध कर रहे हैं।

विधायक गोपाल इटालिया ने आगे कहा कि पूरे गुजरात में ऐसे अपराध करने वाले एक भी व्यक्ति को सात साल की सज़ा नहीं हुई। मोरबी में पुल टूट गया, फिर भी किसी को सात साल की सज़ा नहीं हुई। राजकोट के अग्निकांड में अनेक निर्दोष लोग जलकर मर गए, फिर भी किसी को सात साल की सज़ा नहीं हुई। सूरत अग्निकांड के पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके आरोपियों को सात साल की सज़ा नहीं हुई। गुजरात के बोटाद में लठ्ठाकांड हुआ, जिसमें पचास से अधिक लोगों की मौत हो गई, फिर भी आरोपियों को सात साल की जेल की सज़ा नहीं हुई। हॉस्टल में घुसकर युवतियों के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को सात साल की जेल की सज़ा नहीं होती! लेकिन चैतर वसावा ने जनता को जगाने और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया, तो उन्हें मामूली धाराओं में सात साल की जेल की सज़ा दे दी गई! हम आम आदमी पार्टी के रूप में गुजरात के आदिवासी समाज और चैतरभाई वसावा के साथ खड़े हैं। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं। गुजरात की जनता और आदिवासी युवाओं से मेरी एक विनम्र अपील है कि यदि आप मानते हैं कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को मामूली धाराओं के तहत सात साल तक जेल में डालने का काम भाजपा ने किया है और यह उचित नहीं है, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि आगामी चुनावों में भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। सभी वोट चैतरभाई वसावा और आम आदमी पार्टी को दीजिए।

शराब और ड्रग्स बेचने वाले बाहर, लेकिन लोगों की आवाज़ उठाने वाले चैतर वसावा जेल में : AAP

- विधायक चैतर वसावा के समर्थन में AAP की राज्यव्यापी "सपोर्ट मार्च"
- अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा सहित सभी जिलों में AAP सड़कों पर उतरी
- चैतर वसावा को विधायक पद से हटाने के लिए रचा गया षड्यंत्र : AAP
- आदिवासी समाज की आवाज़ को दबाने की कोशिश : AAP
- जनता की आवाज़ उठाने वाले को ही भेजा गया जेल : AAP
- भाजपा के सामने नहीं झुके, इसलिए चैतर वसावा को बनाया गया निशाना : AAP

अहमदाबाद/सूरत/वडोदरा/राजकोट/जामनगर/भावनगर/भरूच/नर्मदा/छोटाउदेपुर/वलसाड/डीसा/गिर सोमनाथ/देवभूमि द्वारका/सुरेंद्रनगर/जूनागढ़/कच्छ/गांधीनगर/गुजरातः आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा से विधायक और आदिवासी समाज के लोकप्रिय नेता चैतर वसावा के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें विधायक चैतर वसावा सहित कुल नौ लोगों को सात वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इसके विरोध में तथा विधायक चैतर वसावा के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने आज अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली सहित पूरे गुजरात में "सपोर्ट मार्च" का आयोजन किया। अहमदाबाद में प्रदेश कार्यालय से इनकम टैक्स सर्कल तक आम आदमी पार्टी द्वारा इस सपोर्ट मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी देसाई, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. करन बारोट, आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ASAP के प्रदेश अध्यक्ष धार्मिक माथुकिया, ASAP के अहमदाबाद शहर अध्यक्ष यात्रिक पटेल, मालधारी सेल के प्रदेश अध्यक्ष किरण देसाई, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा केवलरामाणी, महिला मोर्चा की प्रदेश संगठन मंत्री कश्मीरा मेहता, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हार्दिक खोखर, युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री जुबेर शेख, अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा प्रभारी विपुल पटेल, आम आदमी पार्टी के नेता राजेश दीक्षित, मुकेश चौहान, दीपक देसाई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और विधायक चैतर वसावा के समर्थन में नारे लगाए।

आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करने वाले, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ने वाले तथा गुजरात के युवाओं की आवाज़ उठाने वाले आदिवासी समाज के लोकप्रिय विधायक चैतर वसावा को षड्यंत्र के तहत कानून का दुरुपयोग करके जेल भेजा गया है। जब से विधायक चैतर वसावा डेडियापाड़ा से चुनाव जीते हैं, तभी से भाजपा ने उन्हें डराने-धमकाने और लालच देने की अनेक कोशिशें कीं, लेकिन विधायक चैतर वसावा भाजपा के सामने नहीं झुके। इसी कारण भाजपा सरकार ने तंत्र का दुरुपयोग करते हुए बार-बार चैतर वसावा के खिलाफ मामले दर्ज किए और उन्हें कई बार जेल भेजा। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भाजपा सरकार षड्यंत्र रचकर चैतर वसावा को विधायक पद से हटाना चाहती है। क्योंकि चैतर वसावा सड़क से लेकर विधानसभा तक आदिवासी समाज सहित पूरे गुजरात के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने लाते हैं, इसलिए विधायक चैतर वसावा भाजपा की आँखों में खटकते थे। गुजरात में भाजपा के अनेक नेताओं के खिलाफ वर्षों से मामले चल रहे हैं, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं होती। भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, खराब सड़क और पुल बनाने वाले ठेकेदार, शराब और ड्रग्स बेचने वाले माफिया सहित अनेक लोग गलत काम करने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि जनता की आवाज़ उठाने वाले चैतर वसावा को जेल भेज दिया गया है। विधायक चैतर वसावा को न्याय मिलने तक आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

चौक बाजार की सरकारी जमीन पर वक्फ दावा खारिज, गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला; याचिकाकर्ता पक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना

सूरत। सूरत के ऐतिहासिक चौक बाजार क्षेत्र स्थित एंड्रयूज़ लाइब्रेरी के पीछे राजा ओवारा (घाट) की सरकारी भूमि को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद में गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संबंधित वक्फ दावे को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि विवादित भूमि सरकारी संपत्ति है और उसे वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता देने का दावा स्वीकार्य नहीं पाया गया। न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि प्रस्तुत दावे के समर्थन में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं थे और याचिकाकर्ता पक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले को शहर के बहुचर्चित भूमि विवाद में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय माना जा रहा है।

यह विवाद सूरत के चौक बाजार चौराहे के निकट स्थित राजा ओवारा क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह क्षेत्र हेरिटेज संरक्षण के लिए आरक्षित है। वर्ष 2009 में यहां मौजूद झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास कर उन्हें अन्य स्थानों पर आवास उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद पूरी जमीन को खाली कराया गया। इसके बाद क्षेत्र के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की योजनाओं पर विचार किया जा रहा था।

पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक आफ्रीकावाला का कहना है कि झुग्गियों के हटने के बाद इस क्षेत्र में कथित रूप से असामाजिक गतिविधियां बढ़ने लगी थीं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और सूरत नगर निगम आयुक्त सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायतें भेजीं और सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। शिकायतों के आधार पर राज्य मॉनिटरिंग सेल ने भी मौके पर कार्रवाई करते हुए जांच और छापेमारी की थी।

इसी दौरान विवाद तब और गहरा गया, जब इस सरकारी भूमि पर कथित रूप से मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू होने की जानकारी सामने आई। दीपक आफ्रीकावाला ने नगर निगम प्रशासन के समक्ष इस निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराई। प्रारंभिक स्तर पर नगर निगम ने इसे अवैध मानते हुए निर्माण हटाने की कार्रवाई की, लेकिन आरोप लगाया गया कि बाद में निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। इसी बीच विवादित भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कराने के प्रयास भी किए गए, जिसके बाद पूरा मामला कानूनी विवाद में बदल गया।

मामला गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दीपक आफ्रीकावाला की ओर से अधिवक्ता कौशल डी. पंड्या ने विस्तृत कानूनी दलीलें पेश करते हुए दावा किया कि संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक संपत्ति के रूप में दर्ज है और इसे वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किए जाने का कोई वैध आधार नहीं है। दूसरी ओर, वक्फ से जुड़े पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन पर न्यायाधिकरण ने विस्तृत सुनवाई की।

लगातार चली सुनवाई के बाद 25 जून 2026 को ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय सुनाया। फैसले में कहा गया कि उपलब्ध अभिलेखों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विवादित भूमि सरकारी संपत्ति है तथा उस पर किया गया कब्जा वैध नहीं माना जा सकता। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि संबंधित वक्फ पंजीकरण कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कथित रूप से गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किए जाने पर हुसैनी मस्जिद से जुड़े याचिकाकर्ता पक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

फैसले के बाद दीपक आफ्रीकावाला ने न्यायाधिकरण के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला केवल सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चौक बाजार क्षेत्र में प्रस्तावित हेरिटेज संरक्षण परियोजनाओं का रास्ता भी साफ करेगा। उन्होंने कहा कि यह इलाका ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण से शहर की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी भूमि, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि यदि संबंधित पक्ष चाहे तो वह उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती देने का कानूनी अधिकार रखता है।

फिलहाल ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद विवादित भूमि को सरकारी संपत्ति मानते हुए प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन अब इस क्षेत्र में प्रस्तावित संरक्षण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठा सकता है। यह निर्णय सूरत शहर के सबसे चर्चित भूमि विवादों में से एक का महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव माना जा रहा है।

तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 10 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद, सूरत स्टेशन पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई; दिल्ली से मुंबई जा रही खेप पकड़ी गई

सूरत। देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से मुंबई जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस से लगभग दो किलोग्राम उच्च गुणवत्ता की कोकीन बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान डीआरआई अधिकारियों ने एक संदिग्ध यात्री को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 39 वर्षीय फैजल अहमद के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में यह मामला किसी बड़े अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे सिंडिकेट की परतें खोलने में जुट गई हैं। सूत्रों के अनुसार डीआरआई की सूरत इकाई को पहले से ही विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि दिल्ली से मुंबई जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के जरिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप भेजी जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीआरआई अधिकारियों ने सूरत रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की। ट्रेन के निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचते ही अधिकारियों की टीम ने गुप्त तरीके से संदिग्ध यात्रियों पर नजर रखी और बाद में ट्रेन के भीतर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान अधिकारियों को एक यात्री का व्यवहार संदिग्ध लगा। पूछताछ के बाद उसके सामान की गहन जांच की गई, जिसमें विशेष रूप से तैयार किए गए पैकेटों में छिपाकर रखी गई लगभग दो किलोग्राम कोकीन बरामद हुई। प्रारंभिक परीक्षण में बरामद पदार्थ को उच्च गुणवत्ता की कोकीन पाया गया, जिसके बाद डीआरआई ने उसे तत्काल जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया।

अधिकारियों के अनुसार बरामद कोकीन की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप किसी संगठित ड्रग सिंडिकेट के लिए भेजी जा रही थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन की बरामदगी यह संकेत देती है कि इसके पीछे संगठित तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है, जो विभिन्न राज्यों के माध्यम से मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहा है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी फैजल अहमद को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को एक दिन की डीआरआई रिमांड पर भेज दिया, ताकि उससे विस्तृत पूछताछ की जा सके। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान ड्रग तस्करी से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली से मुंबई तक इस मादक पदार्थ की खेप को कैरियर के रूप में पहुंचाने का काम कर रहा था। उसने दावा किया कि उसका काम केवल निर्धारित स्थान तक पार्सल पहुंचाना था। हालांकि डीआरआई अधिकारी इस बयान की पुष्टि कर रहे हैं और यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसे यह खेप किसने सौंपी थी, इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और मुंबई में इसे किस व्यक्ति या गिरोह तक पहुंचाया जाना था।

जांच एजेंसियों का ध्यान अब इस पूरे नेटवर्क के स्रोत और गंतव्य दोनों पर केंद्रित है। अधिकारी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बरामद कोकीन भारत में किस रास्ते से पहुंची और क्या इसका संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह से है। इसके अलावा आरोपी के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण, बैंक लेनदेन और यात्रा संबंधी दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है।

'बिजली की बचत ही बिजली उत्पादन' के मंत्र के साथ सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत अभियान का शुभारंभ

- सूर्यप्रकाश से सोलर तक; गुजरात सरकार का ग्रीन एनर्जी रोडमैप : सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचत संबंधी दिशानिर्देश जारी
- बिजली बचत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालय को सम्मानित किया जाएगा
- सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखना होगा
- कार्यालयों के कॉरिडोर, मीटिंग रूम, पार्किंग तथा शौचालयों में स्वतः संचालित होने वाले ऑक्यूपेंसी सेंसर तथा टाइमर आधारित ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे

गांधीनगर : ग्लोबल वार्मिंग तथा दिन-प्रतिदिन बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य के सभी सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालयों, बोर्ड-निगमों तथा सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा बचत के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है।

गुजरात सरकार के ऊर्जा बचाओ अभियान अंतर्गत ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल तथा सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यक्षमता को प्रभावित किए बिना अनावश्यक बिजली की खपत कम करके वित्तीय अनुशासन तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी विभागों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा उत्पादन, टिकाऊ विकास तथा लागत-प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सरकारी कार्यालय तथा प्रशासनिक भवन संस्थागत बिजली खपत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहां कार्यक्षमता को प्रभावित किए बिना बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली बचत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारीपूर्ण ऊर्जा उपयोग की व्यवस्था लागू की गई है। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद, सप्ताहांत अथवा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सभी लाइटें, पंखे, एयर कंडीशनर तथा कंप्यूटर सिस्टम अनिवार्य रूप से बंद रखने होंगे। जो अधिकारी अवकाश पर अथवा फील्ड ड्यूटी पर हों, उनकी खाली केबिनों में भी सभी विद्युत उपकरण बंद रखने के लिए कार्यालय प्रमुखों को प्रतिदिन निगरानी रखनी होगी। साथ ही प्रत्येक बड़े विभाग में एक 'नोडल अधिकारी' की नियुक्ति की जाएगी।

बीईई की अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, मैन्युअल त्रुटियों के कारण होने वाली बिजली की बर्बादी रोकने के लिए कार्यालयों के कॉरिडोर, मीटिंग रूम, पार्किंग क्षेत्र तथा शौचालयों में स्वतः संचालित ऑक्यूपेंसी सेंसर एवं टाइमर आधारित ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद अर्थात शाम 6 बजे से वॉटर कूलर बंद रखने तथा प्रातः 9 बजे के बाद ही चालू करने की सख्त व्यवस्था की जाएगी।

ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों में पुरानी पारंपरिक लाइटों के स्थान पर बिजली बचाने वाली आधुनिक एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी तथा भविष्य में होने वाली खरीद में केवल 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। महानगर पालिकाओं एवं नगर पालिकाओं में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएम) के माध्यम से स्ट्रीट लाइटों के चालू एवं बंद होने का समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के खगोलीय समय से केंद्रीय रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रतिदिन लगभग 60 मिनट की प्रत्यक्ष बिजली बचत होगी। इसके अतिरिक्त; रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कम यातायात वाले समय में प्रायोगिक आधार पर एकांतर पोलों की स्ट्रीट लाइटें बंद रखने की भी योजना बनाई गई है।

इसके अलावा; बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट के उपयोग को कम कर सीढ़ियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता संबंधी पोस्टर लगाए जाएंगे। दिन के समय पर्याप्त सूर्यप्रकाश उपलब्ध होने पर न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। जिन सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध होगी, वहां सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करने की आवश्यक योजना बनाई जाएगी। जीईडीए द्वारा जिन सरकारी भवनों में बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, उनकी जांच की जाएगी तथा यदि वे कार्यरत नहीं हैं तो उन्हें पुनः चालू कर उनकी निर्धारित क्षमता के अनुरूप बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल तथा सड़क एवं भवन विभाग द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि राज्य सरकार के इन आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र तैयार किया गया है। सभी विभागों को आगामी 45 दिनों के भीतर अपना 'ऑफिस एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान' तैयार कर गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईएडी) को सबमिट करना होगा। इसके अतिरिक्त; ऊर्जा उपयोग संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा प्रत्येक वर्ष थर्ड-पार्टी एनर्जी ऑडिटरों द्वारा अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट कराया जाएगा। जो कार्यालय इस अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे; उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित भी किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद–पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

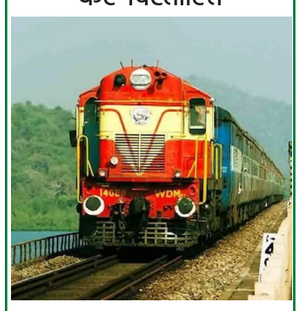

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद–पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है :

ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद-पटना साप्ताहिक स्पेशल जिसे 24 जून, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 01 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल जिसे 26 जून 2026 तक अधिसूचित किया गया था, उसे अब बढ़ाकर 03 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09447 के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

लखनऊ स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित

उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के अंतर्गत ओएचई (OHE) संशोधन कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से परिवर्तित रहेगा। साथ ही कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी प्रदान किया जाएगा।

इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 15667 गांधीधाम–कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 27 जून से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल–लखनऊ–बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल–ऐशबाग–मल्हौर–बाराबंकी के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 15668 कामाख्या–गांधीधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 01 जुलाई से 9 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी–लखनऊ–कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी–मल्हौर–ऐशबाग–कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम–भागलपुर स्पेशल दिनांक 26 जून से 10 जुलाई, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मानकनगर-लखनऊ–मल्हौर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानक नगर–ऐशबाग–मल्हौर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर–गांधीधाम स्पेशल दिनांक 29 जून और 6 जुलाई, 2026 को निर्धारित मार्ग मल्हौर–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19409 साबरमती–गोरखपुर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 11 जुलाई से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मानक नगर-लखनऊ-मल्हौर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानक नगर–ऐशबाग–मल्हौर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19410 गोरखपुर–साबरमती द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 11 जुलाई से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी–मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान बादशाहनगर एवं ऐशबाग स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 15270 साबरमती–मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस दिनांक 11 जुलाई से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल–लखनऊ–बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल–ऐशबाग–मल्हौर–बाराबंकी के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 15635 ओखा–गुवाहाटी साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 26 जून से 11 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल–लखनऊ–बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल–ऐशबाग–मल्हौर–बाराबंकी के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 15636 गुवाहाटी–ओखा साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 29 जून से 7 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी–लखनऊ–कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी–मल्हौर–ऐशबाग–कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 19168 वाराणसी सिटी–अहमदाबाद (साबरमती) एक्सप्रेस दिनांक 26 जून से 10 जुलाई, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मल्हौर–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19166 दरभंगा–अहमदाबाद (साबरमती) एक्सप्रेस दिनांक 27 जून से 11 जुलाई, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मल्हौर–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 20940 सुल्तानपुर–साबरमती साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 1 एवं 8 जुलाई, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग उतरेटिया–लखनऊ–आलमनगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग उतरेटिया–ट्रांसपोर्ट नगर–आलमनगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान उतरेटिया एवं आलमनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 20964 वाराणसी–साबरमती साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 27 जून तथा 4, 11 जुलाई, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग उतरेटिया–लखनऊ–आलमनगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग उतरेटिया–ट्रांसपोर्ट नगर–आलमनगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान उतरेटिया एवं आलमनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

साबरमती-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन अब 'अमृत भारत' रैक से होगी संचालित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए साबरमती–हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार करने के साथ-साथ इसे अत्याधुनिक अमृत भारत रैक से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09425 साबरमती-हरिद्वार स्पेशल जिसे 29 जून 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 27 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 6 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक अमृत भारत रैक से संचालित होगी।

ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार-साबरमती स्पेशल जिसे 30 जून 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 28 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 7 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक अमृत भारत रैक से संचालित होगी।

इस ट्रेन में स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09425 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 28 जून 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर–सुरेन्द्रनगर गेट सेक्शन का किया विंडो ट्रेलिंग एवं संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने शुक्रवार, 26 जून, 2026 को भावनगर परा से सुरेन्द्रनगर गेट स्टेशन तक विस्तृत विंडो ट्रेलिंग एवं संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खोडीयार मंदिर, सोनगढ़, बजूद, सणोसरा, धोला, बोटाद, लींबडी तथा सुरेन्द्रनगर गेट स्टेशनों का संरक्षा, परिचालन, अधोसंरचना एवं यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से गहन अवलोकन किया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने उक्त रेलखंड में प्रगति पर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विशेष रूप से जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निर्धारित संरक्षा मानकों के अनुपालन तथा कार्यों की

प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान श्री वर्मा ने रेल पथ, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली सहित विभिन्न रेल अधोसंरचना संबंधी व्यवस्थाओं का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने रेल परिसंपत्तियों के समुचित रखरखाव तथा संरक्षा मानकों के शत-प्रतिशत अनुपालन पर विशेष बल दिया।

बोटाद स्टेशन पर उन्होंने रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया तथा वहां निवासरत रेलवे कर्मचारियों के परिजनों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशन परिसरों की स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि रेल संचालन में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा संरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन प्रत्येक रेलकर्मी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उच्च स्तर की सतर्कता, बेहतर समन्वय एवं कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।